DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

जयपुर दिनांक : 29.11.12

क्रमांक प.3(117)सूप्रौ / लेखा / 08 / 6876
जिला कलक्टर समस्त

विषय :– जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष **2012–13** हेतु यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, प्रशिक्षण एवं परियोजनाओ हेतु आवटित बजट के उपयोग किये जाने बाबत।

संदर्भ :– विभागीय पत्र क्रमांक प.3(117)सूप्रौ / लेखा / 08 / 5410 दिनांक 18.09.12 एवं 6080 दिनांक 19.10.12

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थापित इस विभाग के कार्मिको के वेतन भत्तो के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अन्य परियोजनाओ (Biometric, e-Mitra, e-Sugam) के अन्तर्गत बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष **2012–13** समाप्त होने को है लेकिन अधिकांश जिला कार्यालयो द्वारा इन मदो में किसी प्रकार से कोई व्यय नहीं किया जा रहा है, जबकि कुछ जिला कार्यालयो से अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां एक और बकाया दायित्वो का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है वहीं दूसरी और अन्य जिलो में राशि समर्पित होगी। वित्तीय वर्ष में प्रावधित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होना एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि समर्पित करना वित्तीय अनियमितता है। अतः कृपया उपरोक्त मदो में आवंटित राशि का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करे और यदि उपरोक्त उपमदो में आप द्वारा किसी प्रकार व्यय नहीं किया जा रहा हो तो तुरन्त (05 दिस-12 तक) उस राशि को आईएफएमएस के अन्तर्गत समर्पित कर विभाग को सूचित करावे ताकि राशि अन्य जिलो को जिन्हे राशि की आवश्यकता है उन्हे आंवटित की कर व्यय की जा सके।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जिला कलेक्टर कार्यालय समस्त

वित्तीय सलाहकार